

फार्म  
अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2016-17

क्रमांक -

123

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016-17

1 अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम मुन्नाखा 2 वर्तमान धारित पद लाइन में 3 कार्यालय का नाम - डी. डब्लू. डब्लू. उप संभाग सिवपुरी  
4 वर्तमान वेतन 18930+DA 5 भविष्य निधि क्रमांक 14196604 6 कर्मचारी संख्या 924844499

| उस जिले, उपसभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |                        | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|----------------------------|------------------------|---------------|---|---|------------------------|-----------|
|   | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि                   |               |   |   |                        |           |
| 1   | 2                          | 3                      | 4             | 5   | 6   | 7                      | 8         |
| आधा गांव<br>सबका उवा  | मकान 250<br>वर्ग फीट       | —                      | 12 लाख        | श्री मती हसीना बेगम<br>पत्नी  | विरासत में मिला   | —                      |           |
| आधा गांव<br>सबका उवा  | 1400 वर्ग फीट              | —                      | 25 लाख        | —   | 9 लाख 50 हजार रुपये में<br>श्री अशोक सिंह लोहार<br>से मिला दिया   | —                      |           |
| ग्राम - ककरवा<br>गृह - जोरा<br>जिला - कुशीन                       | —                          | उकीदा जमीन<br>खेती में | 15 लाख        | मुन्नाखा स्वयं  | विरासत में मिली   | 15 हजार                |           |

हस्ताक्षर मुन्नाखा  
नाम मुन्नाखा  
पदनाम लाइन में

जहाँ लागू न हो काट दीजिये  
... ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये  
... इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी** — मण्डल द्वारा गृह मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने के अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वात्तिकी तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिला या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे।